सं. 7/23/2008-संस्था-III(क)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2008

# कार्यालय ज्ञापन

**विषयः- केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और निधिक/नियंत्रित अर्ध-सरकारी संगठनों, स्वायत्तशासी संगठनों और सांविधिक निकायों, आदि के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के संबंध में दिशानिर्देश।**

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा यथा-स्वीकृत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संशोधित वेतन संरचना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि ये आदेश उन स्वायत्तशासी संगठनों आदि के कर्मचारियों पर भी लागू किए जाएं जिनके परिलब्धियों की संरचना का पैटर्न अर्थात् वेतनमान और भत्ते (विशेषकर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्तों के समान हैं। आगे इस अनुबंध के अधीन यह है कि उन संगठनों के कर्मचारियों की सेवा-शर्तें विशेषकर कार्य-घंटे, समयोपरि भत्ते का भुगतान आदि से संबंधित सेवा-शर्तें ठीक वैसी ही होंगी जैसी कि सरकारी विभागों में हैं। स्वायत्तशासी संगठनों आदि को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 को अंगीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। तथापि, यह स्पष्ट है कि पूर्वोक्त नियमावली की प्रथम अनुसूची के भाग **क** के खंड I और II में यथा-समाहित संशोधित वेतन संरचना को ही स्वीकार कर लिया जाए। आगे यह भी कहा जाता है कि संशोधित वेतन संरचना उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो वर्तमान नियमावली के अनुरूप ही वेतन संरचना का विकल्प देंगे। इसी प्रकार, भविष्य निधि अथवा अंशदायी भविष्य निधि, जैसा भी मामला हो, में कटौती संशोधित वेतन के आधार पर उस तारीख से करनी होगी, जिस तारीख से कर्मचारी संशोधित वेतन संरचना को स्वीकार करने का विकल्प देगा।

2. उन कर्मचारियों की श्रेणियों के मामले में, जिनकी परिलब्धियों की संरचना का पैटर्न अर्थात् वेतनमान और भत्ते तथा सेवा-शर्तें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों के समान नहीं हैं, संबंधित मंत्रालय/विभाग में प्रत्येक स्वायत्तशासी निकाय के लिए एक अलग "अधिकारियों का समूह" गठित किया जाए। संबंधित मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार इस समूह के संबंध में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह समूह संबंधित संगठनों के स्टॉफ प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों, यदि कोई हों, को ध्यान में रखते हुए वेतनमान आदि के संशोधन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जांच करेगा। यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि इन स्वायत्तशासी संगठनों आदि के कर्मचारियों को दिए जाने के लिए प्रस्तावित लाभों का अंतिम पैकेज केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अनुरूपी श्रेणियों के लिए स्वीकार्य लाभों के अंतिम पैकेज की तुलना में अधिक

लाभप्रद नहीं है। "अधिकारियों के समूह" द्वारा संस्तुत अंतिम पैकेज के लिए वित्त मंत्रालय अथवा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जैसा भी मामला हो, की सहमति लेना अपेक्षित होगा।

3. वेतन की बकाया राशि के भुगतान का तरीका वही होगा जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 14 में विनिर्दिष्ट है।

4. इन आदेशों के आधार पर स्वायत्तशासी संगठनों आदि द्वारा संशोधित वेतन संरचना को उन दोनों स्थितियों में स्वीकार किया जाएगा जहां परिलब्धियों की संरचना का पैटर्न केन्द्र सरकार की परिलब्धियों की संरचना के समान है और जहां समान नहीं है तथा वहां अतिरिक्त व्यय के लिए बजटीय सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी: –

(क) अतिरिक्त राशि की 80 प्रतिशत राशि की पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी;

(ख) अतिरिक्त राशि की 10 प्रतिशत राशि की पूर्ति स्वायत्तशासी संगठनों द्वारा अतिरिक्त राजस्व का सृजन करके की जाएगी; और

(ग) अतिरिक्त राशि की शेष 10 प्रतिशत राशि की पूर्ति की व्यवस्था स्वायत्तशासी संगठनों द्वारा बचत आदि के जरिए की जाएगी।

4.1 जिन स्वायत्तशासी संगठनों आदि के पास राजस्व जनरेट करने का कोई स्रोत नहीं है, वहां अतिरिक्त राशि की 90 प्रतिशत राशि की पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।

5. यदि अतिरिक्त खर्च की पूर्ति उपर्युक्त पैराग्राफ 4 और 4.1 में उल्लिखित निधियन पैटर्न द्वारा नहीं की जा सकती, तो इस फार्मूले द्वारा लगाए गए हिसाब से अधिक राशि के लिए किए गए प्रत्येक अनुरोध की जांच उसके गुणावगुणों के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाएगी तथा उसे विचारार्थ इस विभाग को भेजा जाएगा।

मधुलिका प्रसाद

(मधुलिका पी. सुकुल)
संयुक्त सचिव (कार्मिक)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
सभी वित्तीय सलाहकार (नाम से)